न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– प्रार्थना पत्र संख्या 115/2019

1. कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई पत्नी भजन सिंह जाति राय सिख निवासी 4 बी बडी पक्की तह व जिला श्री गंगानगर।

– – प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: बनाम ::–

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

– :: आदेश ::–

दिनांक :–17.10.2019

प्रार्थीया द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीया चक 4 बी बडी पक्की तह0 व जिला श्री गंगानगर की स्थायी निवासी है तथा उसके नाम से चक 5 बी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 10/3, मु0 न0 37, 40 की कुल 3.796 हैक्टर में से 0.101 हैक्टर खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम कशमीर कौर है तथा इसी नाम से उसका राशन कार्ड सं0 006435200099 बना हुआ है, नकल शामिल है, आधार कार्ड सं0 3830 4862 6787 फोटोयुक्त बना हुआ है, जिसकी नकल शामिल है एवं भामाशाह कार्ड भी फोटोयुक्त बना हुआ है, जिसकी नकल शामिल है। प्रार्थीया के पति भजन सिंह का देहांत दिनांक 04.09.2004 को होने पर वारिस प्रमाण–पत्र दिनांक 20.10.2012 सरपंच ग्राम पंचायत पक्की द्वारा जारी किया हुआ है, जिसमें भी प्रार्थीया का नाम कशमीर कौर दर्ज है, नकल शामिल है। प्रार्थीया को घर पर मायके तथा ससुराल में कशमीरो बाई भी कहा जाता था, इस कारण प्रार्थीया के नाम चक 5 पी बडी के खाता सं0 3/72, मु0 न0 30 की भूमि 1.454 हैक्टर दर्ज करते समय कशमीर कौर के स्थान पर कशमीरो बाई दर्ज हो गया, जमाबंदी की नकल शामिल है। इस प्रकार प्रार्थीया का सही नाम कशमीर कौर है मगर घर में कशमीरो बाई भी पुकारने से उपरोक्त जमाबंदी में कशमीरो बाई दर्ज हो गया जबकि कशमीर कौर व कशमीरो बाई दो अलग–अलग नहीं है बल्कि प्रार्थीया एक ही है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत 4 बी बडी ने प्रमाण–पत्र दिनांक 25.07.29 को जो जारी किया है उस पर प्रार्थीया की फोटो भी चस्पा है, जो कि प्रमाणित किया गया है कि कशमीरो बाई एवं कशमीर कौर पत्नी

भजन सिंह एक ही औरत के अलग–अलग नहीं है तथा सरपंच ने यह भी लिखा है कि वह प्रार्थीया को व्यक्तिगत तौर से जानता है। अब चक 5 पी बड़ी के खाता सं0 3/72 की भूमि सुधार के लिए जब प्रमाण–पत्र पटवारी हल्का से प्राप्त किया तथा भूमि सुधार की कार्यवाही की तो प्रार्थीया का अन्य रिकॉर्ड में दर्ज नाम मेल ना खाने के कारण प्रार्थीया को राजस्व रिकॉर्ड में कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई दर्ज करवाना आवश्यक हो गया, इस सम्बंध में प्रार्थीया कशमीर कौर ने दिनांक 25.07.19 को तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को एक शपथ–पत्र लिखवाकर पेश किया, जिस पर कहा गया कि सक्षम अदालत से आदेश लाने पर ही नाम को सही किया जा सकेगा अर्थात् कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई दर्ज किया जा सकेगा। यही प्रार्थीया को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। आवेदन–पत्र खाता सं0 3/72 की भूमि में अथवा जहां कहीं नाम कशमीरो बाई दर्ज हो गया है, उससे आगे कशमीर कौर उर्फ दर्ज करवाना अथवा कर्मचारी माल के टंकण की गलती के कारण अथवा अन्य किसी कारणवश प्रार्थीया का नाम कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है, जो कि उपरोक्त खाता के अलावा खाता सं0 10/3 में भी इसी प्रकार दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 बी बडी तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 3/72 की भूमि व खाता सं0 10/3 की भूमि चालू जमाबंदी व पुरानी जमाबंदियों में प्रार्थीया का नाम कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई पत्नी भजन सिंह दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की राज पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीया की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

तहसीलदार (राजस्व) भू. अभिलेख शाखा श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं सरपंच ग्राम पंचायत (4 बी बडी) पक्की, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर की अनुशंषा के आधार पर चक 5 बी बडी तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 3/72 की भूमि व खाता सं0 10/3 की भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि कशमीरो बाई के स्थान पर प्रार्थीया का नाम कशमीर कौर उर्फ कशमीरो बाई पत्नी भजन सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारेठ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2019.11.11 12:47:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: